

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाडा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 05 / 2023

GCMS NO. : 2023/48

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट:-

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की
खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, बंगला
त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 28-06-2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 04-04-2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 60 एफ 513237) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 08-06-2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने उनके पत्रांक न्याय/आ/2022/1127 दिनांक 26-06-2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना सृजनात्मक

**जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)**




अभिलेख में नही होने से दिया जाना संभव नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिस बाबत अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 751 दिनांक 27.04.2023 से नियमानुसार समयावधि के भीतर सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

आज दिनांक 28-06-2023 को अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है।

हमने पत्रावली का एवं उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 04-04-2023 पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा उनके पत्रांक 751 दिनांक 27.04.2023 से वांछित सूचना कार्यालय के सृजनात्मक अभिलेख में नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थता बाबत अवगत कराया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" चूंकि उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने वांछित सूचना उनके कार्यालय के अभिलेख में नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थता बाबत उनके पत्रांक 751 दिनांक 27.04.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28-06-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बसवाडा (राज.)